इकाई 9 सांझी कृषि नीति

संरचना

9.0 प्रस्तावना

9.1 उद्देष्य

9.2 सांझी कृषि नीति के मूल सिद्धान्त

9.2.1 प्रमुख पात्र

9.3 सांझी कृषि नीति का निधीकरण तथा समर्थन रचनातंत्र

9.4 लाभ तथा लागत

9.5 सांझी कृषि नीति में सुधार के प्रयत्न

9.5.1 सुधारीकृत सांझी कृषि नीति

9.6 सांझी कृषि नीति का प्रसार

9.7 विष्व व्यापार संगठन तथा सांझी कृषि नीति

9.8 भावी संभावनाएँ

9.9 सारांष

9.10 अभ्यास प्रष्न

9.11 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.0 प्रस्तावना

सांझी कृषि नीति (Common Agricultural Policy; CAP) यूरोपीय संघ (European Union) की सबसे पुरानी, सर्वाधिक संगठित तथा अत्याधिक विवादास्पद नीतियों में से एक है। यूरोपीय संघ के 50 प्रतिषत से अधिक अधिनियमों का सम्बन्ध केवल सांझी कृषि नीति से ही है। यूरोपीय संघ के कुल बजट का 50 प्रतिषत हिस्सा सांझी कृषि नीति हड़प लेती है, इस तथ्य के बावजूद कि यूरोपीय संघ के 15 सदस्य देषों के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product; GDP) में कृषि का भाग केवल 1.6 प्रतिषत है तथा 2004 में इनकी कुल जनसंख्या का केवल 3.8 प्रतिषत ही कृषि से जुड़ा हुआ था। सांझी कृषि

नीति पर इस अत्यधिक व्यय के जो औचित्य दिए जाते हैं, वे खाद्यान्न सुरक्षा, पशु कल्याण के उच्च मानदण्ड, किसानों की आय में स्थायित्व तथा प्राकृतिक पर्यावरण, कृषि पद्धतियों एवमं ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा आदि हैं। इस इकाई में हम इस नीति की प्रक्रिया तथा प्रकृति पर चर्चा करेंगे।

9.1 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएँगेः

- सांझी कृषि नीति की पृष्ठभूमि तथा विकास;
- सांझी कृषि नीति के निर्देषक नियम, प्रमुख पात्र व मुख्य घटक;
- सांझी कृषि नीति से सम्बन्धित अत्यधिक लाभ तथा भारी लागत;
- 1992 के बाद किए गए सुधार; तथा
- यूरोपीय संघ के विस्तार तथा विष्व व्यापार संगठन के संदर्भ में समकालीन चर्चाएँ।

9.2 सांझी कृषि नीति के मूल सिद्धान्त

सांझी कृषि नीति के मूल आधार 1950 के दषक की विध्वंस कृषि अवस्था मानी जाती है जब द्वितीय विष्व युद्ध के परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज नष्ट हो गए थे तथा खाद्यान्नों की आपूर्ति अनिष्चित हो गई थी। अतः इस नीति का निर्माण युद्ध के परिणामस्वरूप पैदा हुई खाद्यान्नों की कमी तथा राषन व्यवस्था की पृष्ठभूमि में हुआ। इसके अतिरिक्त जब सांझी कृषि नीति पर हस्ताक्षर हुए थे उस समय छः मूल सदस्यों की 25 प्रतिषत जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई थी। कृषि क्षेत्र में लगी हुई जनसंख्या की स्थिति बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी दयनीय थी। अतः प्रारंभिक वर्षों में सांझी कृषि नीति का उद्देष्य अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्रोत्साहन देना था ताकि खाद्यान्न आपूर्ति को स्थायी तथा सहनीय बनाया जा सके तथा एक जीवनक्षम कृषिक्षेत्र स्थापित किया जा सके। किसानों को

प्रोत्साहन देने के लिए सांझी कृषि नीति ने कई प्रकार की आर्थिक सहायता तथा निष्चित समर्थन मूल्य प्रदान किए। कृषि के तकनीकी विकास तथा संरचनागत पुनः निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। समग्र रूप में, रोम की संधि के अनुच्छेद 39 में सांझी कृषि नीति ने जिन मुख्य उद्देष्यों की घोषणा की, वे थेः

- कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी,
- उचित जीवन स्तर की गारंटी,
- कृषि बाज़ार में स्थायित्व,
- खाद्यान्नों की आपूर्ति का आष्वासन, तथा
- उपभोक्ता तक खाद्यान्न उचित कीमतों पर पहुँचाने का आष्वासन।

हालाँकि यूरोपीय संघ की अधिकतर नीतियाँ एक तरह के मुक्त बाज़ार नियमों पर आधारित है परन्तु सांझी कृषि नीति इस धारणा पर आधारित है कि कृषि क्षेत्र को प्रबन्धित करने की आवष्यकता है। सांझी कृषि नीति की स्थापना कृषि बाज़ार में परिवर्तन लाने के लिए हुई जिसे महत्वपूर्ण साधन – समर्थन मूल्य उत्पादन कोटा, उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता तथा आयात अवरोध थें। सांझी कृषि नीति में समकालीन सुधारों के बावजूद इस नीति में कोई विषेष परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रारंभिक मूल ढाँचे में चर्चित तथा बाद के संषोधनों के बावजूद इस नीति के मूल सिद्धान्त निम्नलिखित हैंः

1) **बाज़ार एकता (Market Unity)**: इस नीति का मानना है कि सम्पूर्ण यूरोपीय संघ के अन्तर्गत कृषि उत्पादों का मुक्त आवागमन हो अर्थात् कृषि व्यापार में किसी तरह के सीमापार अवरोध नहीं होने चाहिए।

2) **यूरोपीय समुदाय की प्राथमिकताएँ (EU Preferences)**: इसका अर्थ है कि सांझी कृषि नीति यूरोपीय संघ के कृषि उत्पादों की बाहरी आयात से रक्षा करेगी। इसका आषय यूरोपीय संघ के कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देना भी है। दूसरे शब्दों

में, कृषि उत्पादों का मुक्त व्यापार का सिद्धान्त केवल यूरोपीय संघ के अन्दर लागू होता है। इसे यूरोपीय संघ से बाहर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

3) **संयुक्त वित्तीय उत्तरदायित्व (Joint Financial Responsibility):** सांझी कृषि नीति की नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सामूहिक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य देष सांझी कृषि नीति के लिए आर्थिक योगदान दे। सांझी कृषि नीति के लिए दी जाने वाली यह राषि उचित वापसी के नियम पर आधारित नहीं है अर्थात् यह आवष्यक नहीं है कि प्रत्येक सदस्य देष को उसके द्वारा दिए गए अंषदान के अनुपात में लाभ भी मिले।

9.2.1 प्रमुख पात्र (Key Actors)

सांझी कृषि नीति के प्रबन्धन तथा कार्यान्वयन करने वाली प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं:

1) **कृषि परिषद् (Agricultural Council)** : यूरोपीय संघ के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी निर्णय लेने की प्रमुख संस्था है कृषि परिषद्। सभी देषों के कृषि मंत्री इस परिषद् के सदस्य होते हैं। कृषि परिषद् की बैठकों के लिए तैयारी करने का उत्तरदायित्व "कृषि पर विषेष समिति" (Special Committee on Agriculture; SCA) का होता है न कि "स्थायी सदस्यों की समिति" (Committee of Permanent Representative; COPERREP) का। कृषि क्षेत्र में यूरोपीय संसद की कोई खास भूमिका नहीं होती क्योंकि सांझी कृषि नीति से संबंधित अधिकतर मुद्दे परामर्ष कार्यविधि (Consultation Procedure) के अन्तर्गत आते हैं तथा अधिकतर कृषि व्यय अनिवार्य व्यय (compulsory expenditure) के अन्तर्गत आते हैं।

2) **यूरोपीय आयोग (European Commission)** : यूरोपीय आयोग के अन्तर्गत कृषि व ग्राम विकास का मुख्य–निर्देषक प्रमुख दिषा निर्देषों तथा मसौदा प्रस्तावों का निर्माण करता है, नीति–निर्णयों को कार्यान्वित करता है तथा सदस्य देषों द्वारा नीतियों के परिपालन पर नजर रखता है।

3) **राष्ट्रीय प्रषासन (National Administration)** : कृषि नीति के व्यावहारिक पक्षों जैसे भुगतान प्रबन्ध कृषि उत्पादों की खरीद, निरीक्षण आदि का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय सरकारों तथा कई जगह क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होता है।

9.3 सांझी कृषि नीति का निधीकरण तथा समर्थन रचनातंत्र (FUNDING AND SUPPORT MECHANISM)

सांझी कृषि नीति का सारा व्यय यूरोपीय कृषि निर्देषन के निष्चित कोष (European Agricultural Guidance and Guranatee Fund; EAGGF) द्वारा यूरोपीय संध के बजट में से दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस निधि के दो भाग हैं – गारन्टी विभाग तथा दिषानिर्देष विभाग। गारन्टी विभाग का मुख्य कार्य कृषि बाज़ार प्रबंधन पर होने वाले व्यय, बाज़ार समर्थन के लिए आवष्यक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, पशुपालन सम्बन्धी खर्चें तथा सांझी कृषि नीति की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएँ प्रसारित एवं प्रचारित करने से संबंधित खर्चों का वहन करना है। इसके विपरीत, दिषानिर्देष विभाग का कार्य सामाजिक, संरचनागत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों का निर्माण करना रहा है। इसने कृषि व संसाधित संरचनाओं के विकास पर विषेष ध्यान दिया है। सांझी कृषि नीति के बजट का केवल मामूली अंष ही इस विभाग पर व्यय होता है। इस कोष का संचालन, आयोग तथा सदस्य–राज्यों द्वारा होता है। कोष समिति में भी सदस्य–राज्यों तथा आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। विभिन्न सदस्य–राज्य उन संस्थाओं तथा निकायों को मनोनीत करते हैं जो इस व्यय का वहन कर सकते हैं।

2005 में कृषि परिषद् ने यह निष्चय किया कि कृषि सम्बन्धी विभिन्न नियमों को एकल नियमन के अन्तर्गत लाया जाए। इस नए नियमन ने दो तरह की निधियों की रचना की जो, जहाँ तक हो सके, समान नियमों का अनुसरण करेंगेः यूरोपीय कृषि निष्चित कोष (European Agricultural Guranatee Fund; EAGF) तथा ग्रामीण विकास के यूरोपीय कृषि कोष (European Agricultural Fund for Rural Development; EAFRD)। ऐसी आषा की जाती है कि यह सरलीकरण ग्रामीण विकास के लिए लाभदायक होगा क्योंकि ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्यक्रम एक ही निधी के अधीन आ जाएँगे, एक ही अधिनियम से

अधिषासित होंगे तथा एक ही प्रबंधन तथा नियंत्रण के अधीन होंगे। यह नियमन 1 जनवरी 2007 से लागू होना था।

यूरोपीय आयोग (EC) की स्थापना से पहले, विभिन्न यूरोपीय देष अपने किसानों की सहायता के लिए अलग–अलग तरीके अपना रहे थे। इनमें मुख्य तरीके थेः बाज़ार निर्धारित मूल्यों पर संपूरक राषि देना, निर्यात के लिए आर्थिक सहायता, कृषि निवेष से सम्बन्धित आर्थिक सहायता, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, आयात पर शुल्क, सख्यामूलक प्रतिबंध आदि। सांझी कृषि नीति के अन्तर्गत विभिन्न कृषि उत्पादों का मूल्य निष्चित कर दिया गया हैं। कीमत के स्तर, जो किसी विषेष उत्पाद के लिए सामान्य बाज़ार प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं, का अर्थ है एक **लक्ष्य कीमत**, अर्थात् यदि उत्पाद की कीमत एक निष्चित मूल्य से नीचे गिर जाती है तो **हस्तक्षेपी अभिकरण** उस वस्तु को **हस्तक्षेपी मूल्य** पर खरीद लेती है। इन लक्ष्य कीमतों के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख उत्पाद हैं, डेरी उद्योग के उत्पादन, अन्न–धान्य, चावल, चीनी, माँसाहारी उत्पाद जैसे गोमॉस, बछड़े का माँस, सूअर का माँस, भेड़ का माँस, मछली उत्पाद तथा फल एवं सब्जियाँ। इनके लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, गोमाँस, बछड़े का माँस तथा मछली के लक्ष्य मूल्य को **निर्देष मूल्य** (**Guide price**) का नाम दिया जाता है। इसी तरह सूअर माँस, फल एवं सब्जियों के निर्धारक मूल्य को **मूल कीमत** (**Basic price**) कहा जाता है। कीमत का स्तर, जिसके आने पर मछली, फल और सब्जियों को बाज़ार से हटा लिया जाता है उसे **वापसी कीमत** (**Withdrawal price**) कहा जाता है। कृषि उत्पादों के आयात के लिए कई वस्तुओं की **प्रवेष कीमत** (**threshhold price**) की घोषणा कर दी जाती है। इन कीमतों से कम पर किसी वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त समर्थन मूल्य के अतिरिक्त, जैतून का तेल, तिलहन, तम्बाकू तथा कुछ अन्य उत्पादों के लिए **सीधी आर्थिक सहायता** दी जाती है। इसके अतिरिक्त **आयात अवरोध** यूरोपीय संघ के अन्दर कृषि उत्पाद की कीमतों को विष्व स्तर तक गिरने से रोकते हैं। सीमा शुल्क के अतिरिक्त यूरोप के किसानों को संरक्षण देने के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं। विकासषील देषों से कई कृषि उत्पाद वरणात्मक शर्तों (preferential terms) पर

यूरोपीय संघ में आयात किए जाते हैं। परन्तु अधिकतर इन कृषि उत्पादों से यूरोप के किसानों को कोई खतरा नहीं होता। यूरोपीय संघ की कीमतों तथा विष्व स्तर की कीमतों की खाई भरने के लिए यूरोप के किसानों को कई तरह की **निर्यात आर्थिक सहायता** (expert subsidies) भी दी जाती है।

9.4 लाभ तथा लागत

कुछ विद्वानों का विचार है कि सांझी कृषि नीति यूरोपीय संघ की सफलतम नीतियों में से एक है। इसने अपने सभी प्रारंभिक लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। खाद्यान्नों के मामले में यूरोपीय संघ इस समय आत्मनिर्भर है। कृषि उत्पादों के निर्यात में विष्व में इसका दूसरा स्थान है। कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा इस क्षेत्र में काफी आधुनिकीकरण भी देखने को मिलता है। इसने कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार–चढ़ाव को भी रोका है तथा ग्रामीण जीवन शैली को भी सुरक्षित रखा है। तथापि इन तर्कों के बावजूद सांझी कृषि नीति की विभिन्न आधारों पर तीखी आलोचना की जाती हैः

1) **किलेबन्द यूरोप (Fortress Europe)** : सांझी कृषि नीति की पहली प्रमुख आलोचना वैष्वीकरण के समर्थकों तथा वैष्वीकरण–विरोधी सक्रियवादियों दोनों ने की है। इनका तर्क है कि यूरोप की संरक्षित तथा रियायती कृषि ने यूरोपीय महाद्वीप को एक किले में परिवर्तित कर दिया है। यूरोप एवं अन्य पष्चिमी देषों, तथा अमेरिका में रियायती कृषि व्यवस्था विकासषील देषों के किसानों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ पैदा करती है। जहाँ एक तरफ पष्चिमी देष अपने कृषि बाज़ारों को विकासषील देषों के आयात से भी परे रखते हैं, वहाँ दूसरी तरफ अपने अधिषेष कृषि उत्पादों (one supply of agricultural products) को विकासषील देषों में बेचकर उनके बाज़ारों को हानि पहुँचाते हैं। इस तरह की अनुचित परिस्थितियाँ पैदा करके ये विकासषील देषों में गरीबी बढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानवीय विकास रिपोर्ट, 2003 के अनुसार यूरोपीय संघ के रियायती निर्यात ने ब्राजील तथा जमाईका के डेरी उद्योग तथा दक्षिण अफ्रीका के चीनी उद्योग के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् 2000

में यूरोपीय संघ ने प्रत्येक गाय के पीछे 913 अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। इसकी तुलना सब–सहारा अफ्रीका में 490 डॉलर प्रति व्यक्ति सामान्य आय और यूरोपीय संघ द्वारा 8 डॉलर प्रति व्यक्ति अनुदान से की जा सकती है।

2) **उच्च खाद्यान्न मूल्य (High Food Prices) :** एक अन्य आलोचना यह है कि सांझी कृषि नीति द्वारा मूल्यों में हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण यूरोपीय संघ में खाद्यान्नों की कीमतें काफी ऊँची रहती हैं। ऊँची कीमतों के कारण यूरोपीय संघ में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके परिणामस्वरूप यूरोप में अंगूरी शराब की झीलें तथा मक्खन एवं गोमाँस के पहाड़ हैं। इन परिस्थितियों में इस अधिषेष उत्पादों को खरीदने के लिए यूरोपीय संघ को बहुत अधिक धनराषि खर्च करनी पड़ती है। इसे या तो बेच दिया जाता है या निर्यात आर्थिक सहायता द्वारा विष्व बाज़ारों में फेंक दिया जाता है। कई सुधारवादी कदमों के बावजूद यूरोपीय संघ अभी भी चीनी के लिए अपने किसानों को विष्व स्तर की कीमतों से तीन गुना अधिक मूल्य दे रहा है। इसी तरह गौमाँस तथा मुर्गी पालन के किसानों के उत्पादों की कीमत विष्व कीमत से दुगनी है, सुअर माँस तथा दूध उत्पाद विष्व बाज़ार से 30 प्रतिषत अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं। ओ.सी.ई.डी. के अनुसार 2003 में यूरोपीय संघ को खाद्यान्नों में कुल मिलाकर 550 करोड़ यूरो अधिक धनराषि देनी पड़ी। ये कृत्रिम उच्च कीमतें वास्तव में खाद्यान्नों पर परोक्ष कर हैं जो ओ.सी.ई.डी. के अनुसार यूरोपीय संघ के प्रत्येक परिवार को औसतन 500 यूरो प्रतिवर्ष अदा करना पड़ता है।

3) **महँगी सांझी कृषि नीति से संसाधनों का गलत आवंटन (Costly CAP leads to Misallocation of Resources)** : सांझी कृषि नीति के कार्यान्वयन की कीमत काफी ऊँची है। 2005 में यूरोपीय संघ ने सांझी कृषि नीति पर 490 करोड़ यूरो खर्च किए। यह यूरोपीय संघ के कुल बजट का 46 प्रतिषत था। सांझी कृषि नीति का निर्माण करने वाली परिस्थितियाँ आज समाप्त हो चुकी है। इनके कारण यूरोपीय संघ के संसाधनों का आवंटन भी असंतुलित हो रहा है जिसका कुछ प्रतिषत समाज के अन्य क्षेत्रों पर खर्च किया जा सकता है।

4) **यह सदस्य देषों में विवाद पैदा करती है (Causes Conflict among Member-States)** : क्योंकि फ्रांस तथा स्पेन जैसे देषों में कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा है अतः वे सांझी कृषि नीति के अन्तर्गत अधिक पैसा प्राप्त करते हैं, जब कि जर्मनी तथा नीदरलैण्ड जैसे देषों की अपेक्षाकृत अधिक योगदान देना पड़ता है। सांझी कृषि नीति को कोष का सबसे बड़ा अंष फ्रांस की झोली में जाता है। 2004 में इसे कुल बजट का 22 प्रतिषत मिला, जर्मनी तथा स्पेन को क्रमषः 12 तथा 15 प्रतिषत मिला। ब्रिटेन, ग्रीस तथा आयरलैण्ड को क्रमषः 9 प्रतिषत, 6 प्रतिषत तथा 4 प्रतिषत मिला जिसके विपरीत यूरोपीय संघ के अन्य 18 सदस्यों को कुल बजट का 18 प्रतिषत ही प्राप्त हुआ क्योंकि सांझी कृषि नीति से कुछ देषों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है। इससे यूरोपीय संघ में कई तरह के तनाव पैदा हो गए हैं।

5) **समताहीन व्यवस्था (Inequitable System)** : सांझी कृषि नीति व्यवस्था केवल यूरोपीय संघ के अमीर देषों का पक्ष ही नहीं लेती, यह अमीर तथा बड़े किसानों को बेमेल लाभ भी पहुँचाती है। कुछ अनुमानों के अनुसार सांझी कृषि नीति की 80 प्रतिषत से अधिक अदायगी 20 प्रतिषत समृद्ध किसानों को होती है। फ्रांस में 1 प्रतिषत समृद्ध किसानों को 40 प्रतिषत छोटे किसानों से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

6) **विष्व व्यापार समझौतों में बाधा (Obstacles in World Trade Deals)** : क्योंकि अधिकतर देष यूरोपीय कृषि नीति की प्रक्रिया को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में देखते हैं, सांझी कृषि नीति द्वारा निष्चित मूल्य निर्धारण विष्व व्यापार समझौतों में बाधा डालता है। हाल के वर्षो में विष्व व्यापार समझौतों को प्रतिकूल प्रभावित करने वाले कारणों में यूरोपीय संघ में प्रचलित कृषि रियायतें प्रमुख रही है।

9.5 सांझी कृषि नीति में सुधार के प्रयत्न

1960 के दषकों से ही यह अनुभव किया जा रहा है कि सांझी कृषि नीति में किसी तरह का सुधार लाना बहुत कठिन है। परिणामस्वरूप पिछले 30 सालों के अस्तित्व में सांझी कृषि नीति के मूल सिद्धान्तों तथा आधारों को छुआ तक नहीं गया है। 1960 के दषक के अन्तिम वर्षों में प्रस्तावित मैन्सषॉल्ट योजना (Mansholt Plan) का विचार था कि सम्पूर्ण यूरोप में छोटे किसानों की श्रेणी को समाप्त कर दिया जाए तथा कृषि भूमि को बड़े–बड़े क्षेत्रों में संगठित करके अधिक कार्यकुषल कृषि व्यवस्था की शुरुआत की जाए। तथापि शक्तिषाली किसान लॉबियों ने इस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1970 तथा 80 के दषकों में कोई भी अर्थपूर्ण सुधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यद्यपि 1984 में डेरी उत्पाद के लिए एक निष्चित कोटा आरंभ किया गया तथा 1985 में किसानों पर किए जाने वाले खर्चों पर भी एक सीमा लगा दी गई; फिर भी सांझी कृषि नीति मूलतः वैसी ही रही। केवल 1992 में इन नीतियों में परिवर्तन करने के लिए अनेक गंभीर प्रयत्न किए गए।

मैक्षेरी सुधार (The Macsharry Reforms)

सांझी कृषि नीति में पहला महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी सुधार मैक्षेरी द्वारा प्रस्तावित सुधारों के आधार पर 1992 में किया गया जिसे 1994 में कार्यान्वित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत नीति निर्माताओं ने कई प्रमुख कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में कमी करने में सफलता प्राप्त की। इसके अन्तर्गत किसानों को उनकी आय में कमी की भरपाई सीधी नगद अदायगी के रूप में कर दी गई। इन सुधारों का मूल बिन्दु था कि अगले तीन सालों (1993–95) में खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में 30 प्रतिषत की कमी की जाएगी। गौमाँस तथा मक्खन के संस्थागत दामों में भी थोड़ी कमी की जाएगी। समर्थन मूल्य में इस कमी की क्षतिपूर्ति खाद्यान्नों के प्रति हेक्टेयर सीधी नकद अदायगी द्वारा कर दी जाएगी। इसी तरह गौमाँस, गाय–पालन तथा अन्य पशुपालन में भी क्षतिपूर्ति की सीमा बढ़ा दी गई। इन सुधारों ने कृषि योग्य भूमि के लिए कुछ राषि अलग करने की योजना भी आरंभ की। यह राषि कृषि योग्य भूमि, वनारोपण तथा पर्यटन के लिए प्रयुक्त की जा सकती थी। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव जैसे किसानों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष

कर दी जाए, अलग–थलग तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के लिए विषेष रियायतें तथा हेरा–फेरी समाप्त करने के लिए आवष्यक कदम उठाना आदि थे।

एजेन्डा 2000 (Agenda 2000) : यूरोपीय संघ के प्रसार तथा भावी समस्याओं का सामना करने के लिए सांझी कृषि नीति को तैयार करने की आवष्यकता अनुभव करते हुए 'एजेन्डा' का निर्माण किया गया। नई चुनौतियों के बावजूद इस संदर्भ में चली चर्चाओं में संकुचित राष्ट्रीय हित ही प्रधान रहे। हालाँकि इनमें 1992 के सुधारों को ही और अधिक कारगर बनाने की बात कही गई, तथापि एजेन्डा 2000 में सांझी कृषि नीति के लिए कुछ नए उद्देष्य भी जोड़े गए। इनमें पर्यावरण नीति सम्बन्धी लक्ष्य तथा कृषि के यूरोपीय मॉडल में बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका प्रमुख थे। व्यावहारिक स्तर पर इसमें खाद्यान्नों तथा गौमाँस पर समर्थन–मूल्य और कम कर दिया गया। इसके अलावा, सांझी कृषि नीति के **द्वितीय स्तम्भ** के रूप में संघटित ग्राम विकास (Integrated Rural Development) की धारणा आरम्भ की गई। इसमें मैक्षेरी सुधारों, अविकसित क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति भत्ता तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक ही संस्था में विलय कर दिया गया जिसे ग्रामीण विकास नियमन (Rural Development Regulation) का नाम दिया गया। इसके अलावा, यूरोपीय संघ द्वारा कृषि पर खर्च किया जाने वाला बजट भी थोड़ा कम कर दिया गया।

2003 के सुधार (Reforms of 2003): सांझी कृषि नीति में सुधारों की अगली किष्त 2003 में आई जब एजेन्डा 2000 का पुनःनिर्धारण किया गया। जून 2003 में यूरोपीय संघ के कृषि मंत्रियों ने सांझी कृषि नीति के लिए कुछ मौलिक सुधार अपनाए। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अधिकतर आर्थिक रियायतों की अदायगी उत्पादन की मात्रा के आधार पर न होकर उनसे स्वतंत्र होगी। केवल सीमित स्तर पर तथा सुस्पष्ट शर्तों तथा सीमाओं के अन्तर्गत ही उत्पादन तथा आर्थिक रियायतों में सम्बन्ध को चालू रखा गया ताकि कृषि उत्पादन में कमी को रोका जा सके। इस एकल कृषि अदायगी को पर्यावरण सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा तथा पशुपालन कल्याण के मानदण्डों के साथ जोड़ा गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि उत्पादन तथा आर्थिक सहायता का सम्बन्ध विच्छेद यूरोप के किसानों को आवष्यक आय स्थायित्व प्रदान करते हुए, प्रतिस्पर्धात्मक तथा बाज़ार–उन्मुखी बनाएगा। यह फैसला भी लिया गया कि बड़े–बड़े कृषि फार्मों को सीधी आर्थिक सहायता कम करके

पर्यावरण, पशुपालन कल्याण जैसी योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाए। यूरोपीय संघ (EU25) के लिए 2013 तक बजट सीलिंग को ध्यान में रखते हुए कृषिमंत्रियों ने एक वित्तीय अनुषासन रचनातंत्र (Financial Disciple Management) की भी स्थापना की। इन सुधारों के विभिन्न अंग 2005 में लागू किए गए। यह फैसला किया गया कि एकल कृषि अदायगी (Single Farm Payment) का नियमन 2005 से लागू किया जाएगा। यदि किसी सदस्य–राज्य को अपनी कृषि परिस्थितियों को देखते हुए संक्रमण काल (transitional period) की आवष्यकता है तो वह इस एकल कृषि अदायगी को अधिकतम 2007 तक ले जा सकता है। यह संयोजन रहित एकल कृषि अदायगी 2002 में किसानों को दी गई ऐतिहासिक अदायगी पर आधारित है। इन्होंने 1992 में सुधारों में आरंभ की गई क्षतिपूर्ति अदायगियों का स्थान ले लिया।

9.5.1 सुधारीकृत सांझी कृषि नीति (Reformed Common Agricultural Policy)

यूरोपीय कमीषन के कृषि एवं ग्रामीण विकास के निदेषालय के अनुसार इस नई सुधारीकृत सांझी कृषि नीति की प्रमुख विषेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1) उत्पादन से विलग/अलग यूरोपीय संघ के किसानों को एकल कृषि अदायगी, उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए उत्पादन तथा आर्थिक सहायता में सीमित संयोजन बनाए रखा जा सकता है। ये अदायगी पर्यावरण के रख–रखाव, खाद्यान्न सुरक्षा तथा पशु एवं पेड़–पौधों की सेहत के मानदण्डों के साथ जुड़ी हुई है। कृषि भूमि को कृषि योग्य तथा पर्यावरण योग्य रखना महत्वपूर्ण आवष्यकता है। इन शर्तों को **"Cross-compliance"** का नाम दिया जाता है।

2) एक सषक्त तथा अधिक धन से लैस ग्रामीण विकास नीति स्वच्छ पर्यावरण को प्रोत्साहन देने, पशुपालन का स्तर बढ़ाने के नए उपाय, 2005 में आरंभ किए गए नए उत्पादन मानदण्ड प्राप्त करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता के प्रावधान की व्यवस्था।

3) बड़े–बड़े फार्मों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष अदायगी (**modulation**) में कमी ताकि ग्रामीण विकास नीति के लिए अधिक पैसे का प्रबंध किया जा सके।

4) वित्तीय अनुषासन के लिए एक रचनातंत्र की स्थापना ताकि कृषि बजट 2013 की निष्चित सीमाओं के अन्तर्गत रहे।

5) सांझी कृषि नीति की बाज़ार नीति में संषोधनः अगले चार वर्षों में मक्खन के हस्तक्षेपी मूल्य में 25 प्रतिषत की कटौती की जाएगी जो एजेन्डा 2000 के अन्तर्गत की गई कटौती से 10 प्रतिषत और अधिक होगी। दुग्ध पाऊडर में ये कमी अलगे तीन वर्षों में 15 प्रतिषत कर दी जाएगी। खाद्यान्नों के क्षेत्र में मासिक वृद्धि भी 50 प्रतिषत कम कर दी गई तथा हस्तक्षेपी समर्थन मूल्य में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसी तरह चावल, गेहूँ, आलू, चारे तथा मेवों में भी सुधारवादी कदम उठाए गए।

इन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए आयोग ने तीन आयोग अधिनियम (Commission Regulations) की स्थापना की। अधिनियम 1 का सम्बन्ध cross-compliance, Controls and modulations से था। अधिनियम 2 का कार्य एकल कृषि अदायगी का ध्यान रखना था। अधिनियम 3 में उन सभी समर्थन क्षेत्रों को निहित किया गया जो निकट भविष्य में भी उत्पाद विषेष पर आधारित रहेगी।

जून 2005 में कृषि परिषद् ने अपने अगले कार्यक्रम (2007–13) के लिए तथा ग्रामीण विकास के यूरोपीय कृषि कोष (EAFRD) के माध्यम से संरचना समर्थन पर एक नए नियमन को स्वीकृति दी। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य हैं:

- कृषि तथा जगलांत की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ाना,
- पर्यावरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास,
- ग्रामीण जीवन का स्तर बढ़ाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रसार, तथा

- स्थानीय सक्रिय समूहों की विकास रणनीतियों को कार्यान्वित करना।

चीनी सम्बन्धी सुधार (Sugar Reforms) : यूरोपीय संघ में चुकन्दर से बनाई जाने वाली चीनी को सांझी कृषि नीति के अन्तर्गत अत्यधिक आर्थिक सहायता दी जाती है। यूरोपीय संघ संसार का सबसे बड़ा चुकन्दर उत्पादक है जहाँ यह उत्पादन 1.6 से 1.8 करोड़ टन के बीच होता है। मैक्षेरी सुधारों तथा एजेन्डा 2000 दोनों में चीनी को निहित नहीं किया गया। फरवरी 2006 में यूरोपीय संघ में कृषि मंत्रियों ने चीनी के क्षेत्र में भी कुछ सुधारों की घोषणा की। चीनी उद्योग सम्बन्धित ये सुधार जुलाई 2006 में लागू होने थे। ये सुधार चीनी क्षेत्र को भी सांझी कृषि नीति के अन्य सुधारों की सीमाओं के अन्तर्गत ले आएँगे। इन सुधारों में प्रमुख : न्यूनतम चीनी समर्थन मूल्य में कमी, किसानों को व्यापक आर्थिक सहायता तथा संरचनागत सुधारों के लिए कोष का प्रावधान आदि हैं। इस समझौते के अनुसार सफेद चीनी के समर्थन मूल्य में अगले 4 वर्षों में 36 प्रतिषत की कमी की जाएगी। परन्तु समर्थन मूल्य में इस कमी का 64.2 प्रतिषत भाग किसानों को संयोजन रहित अदायगी (guarnateed minimum price) द्वारा किया जाएगा जो पर्यावरण तथा कृषि भूमि प्रबन्धन के मानदण्डों से जुड़ा होगा तथा इस अदायगी को एकल कृषि अदायगी के साथ जोड़ दिया जाएगा। वे सदस्य देष जो अपने उत्पादन कोटे में 50 प्रतिषत से अधिक कटौती करते हैं, वे अपने किसानों को अगले पाँच साल तक उनकी आय में कमी का 30 प्रतिषत अतिरिक्त अदायगी करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अतिरिक्त एक ऐच्छिक पुनःस्थापना योजना (Voluntary Restructuring Scheme) भी आरंभ की जाएगी जो अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादकों को यह क्षेत्र छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसी तरह अधिषेष उत्पादन को खरीदने की हस्तक्षेपी नीति भी चार वर्षों के पश्चात् समाप्त कर दी जाएगी।

9.6 सांझी कृषि नीति तथा यूरोपीय संघ का प्रसार (CAP AND EXPANSION OF EU)

1 मई 2004 को यूरोपीय संघ में दस नए सदस्यों को प्रवेष दिया गया। ये हैं : चैक गणराज्य, साईप्रस, इस्टोनिया, लेताविया, हंगरी, माल्टा, पौलेण्ड, स्लोवाक गणराज्य तथा स्लोवेनिया।

यूरोपीय संघ में इन नए राज्यों के प्रवेष से सांझी कृषि नीति की कार्य प्रणाली प्रभावित होनी आवष्यक थी क्योंकि इन सभी नए राज्यों का कुल घरेलू उत्पाद तथा कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिषत पुराने यूरोपीय संघ 15 (EU15) के औसत अनुपात से काफी अधिक है। इन नए राज्यों के प्रवेष से 40 लाख किसान यूरोपीय संघ के पुराने 70 लाख किसानों की संख्या में और जुड़ गए। ये नए राज्य पुराने राज्यों की 1300 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में 380 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की और बढ़ौतरी करेंगे। हालाँकि कृषि भूमि में वह आधिक्य लगभग 30 प्रतिषत है परन्तु यूरोपीय संघ के कुल उत्पादन में अधिकतर कृषि उत्पादों में यह बढ़ोतरी 10–20 प्रतिषत की होगी। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में कुल मूल्य में केवल 6 प्रतिषत की बढ़ोतरी होगी। ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि नए राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता अभी काफी है।

सांझी कृषि नीति के अधिकतर प्रावधानों पर नए राज्यों के साथ पहले ही समझौता हो गया था। यह फैसला किया गया कि इन नए सदस्य–राज्यों के किसानों को सांझी कृषि नीति के बाज़ार की सभी सुविधाएँ तुरन्त प्राप्त हो जाएगी जैसे निर्यात वापसी (export refund) तथा हस्तक्षेपी रचनातंत्र (intervention mechanism)। पिछले कुछ सालों के उत्पादन के औसत आधार पर सभी सदस्य देषों का उत्पादन कोटा, औसतन उत्पाद तथा मूल क्षेत्र निष्चित कर दिए गए। प्रत्येक आर्थिक सहायता अगले 10 वर्षों में समाप्त कर दी जाएगी। यूरोपीय संघ के नए सदस्य पहले यूरोपीय संघ के बजट की कुल अदायगी दर का 25 प्रतिषत प्राप्त करेंगे जो 2013 तक धीरे–धीरे बढ़ा कर शत प्रतिषत कर दिया जाएगा। इस अवधि में ये 10 नए सदस्य–राज्य यूरोपीय संघ कोष में अपना कुल राष्ट्रीय योगदान का 2004 में 55 प्रतिषत, 2005 में 60 प्रतिषत तथा 2006 में 60 प्रतिषत भुगतान कर सकते हैं। परन्तु 2007 के बाद, राष्ट्रीय योगदान की पहले तीन सालों में सामान्य योगदान की राषि से 30 प्रतिषत अधिक होगी। ये नए सदस्य 5 अरब यूरो बजट

वाले ग्रामीण विकास कोष का भी लाभ उठा सकते हैं जिनमें जल्दी सेवानिवृत्ति, पर्यावरण मुद्दे, तकनीकी सहायता, अत्याधिक गरीब क्षेत्र आदि शामिल हैं।

9.7 विष्व व्यापार संगठन तथा सांझी कृषि नीति (WTO AND CAP)

हालाँकि सांझी कृषि नीति में किए गए हाल के सुधार, कृषि उत्पादों में व्यापार को नहीं छूते, तथापि कई लेखकों का विचार है कि विष्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation; WTO) की चिंताओं ने इन सुधारों ने रूपरेखा का काम किया है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उरगुई राऊंड की वार्ताओं के बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तथा विष्व व्यापार संगठन के समझौते सांझी कृषि नीति में सुधारों के पीछे चालक शक्ति का काम कर रहे थे। सांझी कृषि नीति के सुधारों में विष्व व्यापार संगठन की भूमिका एक सक्रिय तत्व बनती जा रही है। विष्व व्यापार संगठन यूरोपीय संघ पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि आयात शुल्क संरक्षण कम किए जाएँ, निर्यात सहायता समाप्त की जाए तथा घरेलू समर्थन न्यूनतम हो ताकि व्यापार प्रणाली विकृत न हो जाए। विष्व व्यापार संगठन यूरोपीय संघ के अंदर सुधार का विरोध करने वाले देषों पर विजय पाने का यंत्र भी बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने विकासषील देषों को विकसित देषों के वाणिज्यिक प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाने का मंच प्रदान किया है। विष्व व्यापार समझौतों की अपने लचीले निर्णय निर्माण संरचनाओं के कारण अमेरिका भी एक कदम आगे जाने की कोषिष कर रहा है। सांझी कृषि नीति में सुधारों के माध्यम से यूरोपीय संघ भी व्यापार समझौतों के स्तर पर अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा है। हालाँकि यूरोपीय संघ अपने नए तर्कों – जैसे ग्रामीण विकास, पर्यावरण, खाद्यान्न सुरक्षा, पशुपालन कल्याण आदि – द्वारा कृषि को संरक्षण देने का प्रयत्न कर रहा है, परन्तु पूर्णतया भिन्न विष्व स्तर पर ऐसी नीतियों का बचाव करना मुष्किल हो रहा है। विष्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत विवादों को निपटाने की प्रक्रिया भी सांझी कृषि नीति में सुधार लाने के लिए दबाव बढ़ा रही है।

9.8 भावी प्रवृत्तियाँ (FUTURE TRENDS)

वर्तमान परिस्थितियों में विदेषी दबाव तथा घरेलू विरोध दोनो सांझी कृषि नीति में और अधिक सुधार लाने के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। इस नीति के पक्ष में शक्तिषाली तर्क यह है कि केवल यही एक ऐसी नीति हैं जो सम्पूर्ण यूरोप के स्तर पर विषुद्ध रूप में सांझी है। सांझी कृषि नीति का बजट, जो सम्पूर्ण यूरोपीय संघ बजट का लगभग आधा भाग होता है, यूरोपीय संघ के कुल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5 प्रतिषत ही है। अतः एक सांझी यूरोपीय नीति के लिए यह कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तथापि यूरोपीय संघ के अन्दर यह भावना उभर रही है कि कृषि पर व्यय किया जाने वाला यह अत्यधिक धन किन्हीं और क्षेत्रों पर भी खर्च किया जा सकता है, जैसे शोध तथा नवीनीकरण के लिए सांझी नीतियाँ। यह आलोचना अधिक मुखर इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि सांझी कृषि नीति का मुख्य लाभ अमीर देषों के समृद्ध किसानों को हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांझी कृषि नीति अपने उद्देष्य से भटक रही है। जैसा कि ब्रिटेन के पूर्व कृषि मंत्री के सलाहकार जैक थर्स्टन ने लिखा, "आज की सांझी कृषि नीति ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा समझौतों का परिणाम है, इसका आर्थिक तर्क नहीं है।" जब भी यूरोपीय संघ ने सांझी कृषि नीति को आंषिक रूप में भी सुधारने की कोषिष की है यह अपनी पुरानी नीतियों की निरन्तरता के लिए कोई न कोई नया तर्क ले आती है। प्रारंभ में सांझी कृषि नीति का उद्देष्य खाद्यान्नों की कमी दूर करना था, बाद में यह किसानों का समर्थन प्रदान करना हो गया; और अब यह पर्यावरण की सुरक्षा का आधार बना रही है। 1990 में सभी प्रकार के "सुधारों को कार्यान्वित करने के बावजूद सांझी कृषि नीति अभी भी बहुत हद तक वैसी है जैसी यह स्थापना के समय पर थी अर्थात् बड़े पैमाने तथा संसाधन समृद्ध कृषि उत्पादन को पुरस्कृत करने वाली यूरोपीय संघ प्रषासित नीति"। क्योंकि ये सब कुछ अब पुराना पड़ गया है अतः सांझी कृषि नीति के तीनों अंग – समर्थन मूल्य, किसानों को नकद अदायगी, तथा संरक्षण नीति – अब पुनः निरीक्षण परीक्षण के विषय बन गए हैं। वास्तव में, सांझी कृषि नीति का विवाद यूरोप के भविष्य पर गहरी चर्चा के मुखौटे का काम कर रहा है। 2008 में सांझी कृषि नीति पर होने वाले पुनःनिरीक्षण के समय अत्यधिक विस्तृत मार्ग पर प्रशस्त विविध यूरोप में गंभीर आमना–सामना होने की संभावना है।

9.9 सारांष

सांझी कृषि नीति की स्थापना युद्धोपरान्त खाद्यान्नों की कमी की पृष्ठभूमि में की गई तथा इसके प्रमुख उद्देष्य थे : उत्पादन बढ़ाना, किसानों का आर्थिक समर्थन तथा खाद्यान्नों के लिए स्थायी बाज़ार का प्रावधान। इसके मूल सिद्धान्त थे : एकल बाज़ार, यूरोपीय आयोग को प्राथमिकता तथा सांझी लागत। यह कृषि परिषद्, आयोग तथा स्थानीय प्रषासन के माध्यम से कार्य करती है। किसानों की आर्थिक सहायता के जो तरीके अपनाए गए, उनमें प्रमुख हैं : उत्पाद मूल्य समर्थन, सीधी नकद अदायगी, तथा वापसी मूल्य। हालाँकि इसके सभी प्रारंभिक उद्देष्य पूरे हो चुके हैं तथापि संरक्षणवाद, उच्च कीमतें, उच्च खाद्यान्न मूल्य, असमानता तथा अकुषलता के संदर्भ में इसकी तीव्र आलोचना की जाती है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य–राज्यों के अमीर तथा बड़े–बड़े किसानों को अधिक फायदे पहुँचाती रही है। सांझी कृषि नीति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए जैसे 1992 में मैक्षेरी सुधार, एजेन्डा 2000, 2003 के सुधार तथा चीनी सम्बन्धी सुधार। संघटित ग्रामीण विकास की धारणा को सांझी कृषि नीति के दूसरे स्तंभ के रूप में आरंभ किया गया। 2003 के सुधारों ने एकल कृषि अदायगी की व्यवस्था आरंभ की तथा उत्पादन एवं समर्थन के संयोजन में सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। किसानों को आर्थिक सहायता केवल इस शर्त पर देने का प्रावधान किया गया यदि वे अपनी भूमि को कृषि योग्य बनाए रखते हैं तथा पशुपालन, पेड़ पौधे तथा पर्यावरण के उच्च मानदण्ड बनाए रखते हैं। इस नीति के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के लिए यूरोपीय कृषि निष्चित कोष तथा ग्रामीण विकास के यूरोपीय कृषि कोष के माध्यम से संस्थागत रचनातंत्र शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा। अधिकतर सुधारों के पीछे विष्व व्यापार संगठन का दबाव, आंतरिक आलोचना तथा यूरोपीय संघ का प्रसार प्रमुख हैं।

9.10 अभ्यास प्रष्न

1) सांझी कृषि नीति की पृष्ठभूमि तथा मूल उद्देष्यों की व्याख्या कीजिए।

2) भारी सफलता के बावजूद सांझी कृषि नीति की आलोचना क्यों की जाती हैं?

3) सांझी कृषि नीति के माध्यम से किसानों का समर्थन किस प्रकार किया जाता है?

4) 1992 के सांझी कृषि नीति में किए गए सुधारों पर एक लेख लिखिए।

5) सांझी कृषि नीति में सुधारों के लिए विष्व व्यापार संगठन द्वारा निर्देषित विष्व व्यापार संरचना किस सीमा तक जिम्मेदार है?

6) सांझी कृषि नीति में और सुधारों के लिए कितनी संभावना है?

9.11 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

ब्यूरो, जीन–क्रिस्टोफी एवं एलन मैथ्यूज, *ई यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी : व्हाट डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू नो* (आई. आई. आई. एस. डिसक्षन पेपर नं. 91, डब्लिन : ट्रीनिटी कॉलेज, 2005) (ऑनलाइन वेब) URL http://www.tcd.ie/iiis/documents/discussion /pdfs/iiisdp91.pdf

अल–जारा, अली एम., *दी यूरोपियन यूनियन : इकॉनामिक्स ऑफ पालिसिज,* (सातवाँ संस्करण) (हारलो (यू.के.) आदि : फाइनैषियल टाइम्स/(प्रैन्टिस हॉल, 2004), आई एस बी एन 027367996।

फर्नानडेज़, ग्रेसिया, जार्ज जीन व अन्य, *दी स्टूडैंटस गाइड टू यूरोपियन इंट्रेग्रेषन,* (कैम्ब्रिज, पॉलिटी प्रेस, 2004, आई एस बी एन : 0745629806)

जोन्स, राबर्ट ए, *दि पॉलिटिक्स एंड दी इकॉनामिक्स ऑफ दी यूरोपियन यूनियन : एन इंट्रोडक्टरी टेस्ट* (चीलटेनहेम, नार्थएमटसन, एडवर एलजर, द्वितीय संस्करण, 2001)।

थस्ट्रोन, जैक, *वाई यूरोप डिजर्वस ए बैटर फॉर्म पालिसी,* पालिसी बीफ़, (लंदन : सेंटर फॉर यूरोपियन रिफार्म, 2005), (ऑनलाइन वेब)

URL http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_cap_thurston_nov.05.pdf

कृषि एवं मत्स्य परिषद, यूरोपीय संघ परिषद। URL http://www.consilium.europa.eu/ cms3_fo/ showPage.asp?id-05.pdf

डायरेक्टरेट जनरल फॉर दी कृषि एण्ड रूरल डेवलपमेंट, यूरोपियन कमीषन।

URL http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm